बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

कार्यालय आदेश

सं0–प्र0 / ऊर्जा–रा0स्था0–20 / 2024– 69 /पटना, दिनांकः– 09.11.2026

श्री मिन्टू कुमार, अवर सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना की माता जी का देहावसान दिनांक–02.11.2026 को होने के कारण श्री कुमार से प्राप्त अनुरोध के आलोक में बिहार सेवा संहिता के नियम 227, 229, 230 एवं 248 के अंतर्गत दिनांक–02.11.2026 से दिनांक–17.11.2026 तक कुल 16 (सोलह) दिनों का उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त उपार्जित अवकाश के उपभोगोपरांत उनके छुट्टी लेखा में कुल 283 दिन उपार्जित अवकाश शेष रह जाएगें।

इस पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0 / –
(सुधा गुप्ता),
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांकः–प्र0 / ऊर्जा–रा0स्था0–20 / 2024– /पटना, दिनांकः–

प्रतिलिपिः–वरीय कोषागार पदाधिकारी, सिंचाई भवन कोषागार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांकः–प्र0 / ऊर्जा–रा0स्था0–20 / 2024– /पटना, दिनांकः–

प्रतिलिपिः–प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांकः–प्र0 / ऊर्जा–रा0स्था0–20 / 2024– 5521 /पटना, दिनांकः– 09.11.2026

प्रतिलिपिः–सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना / संयुक्त सचिव / उप सचिव / सभी अवर सचिव / सभी प्रशाखा पदाधिकारी / लेखा शाखा / रोकड़ शाखा एवं आई0टी0 प्रबंधक, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9.11.26
सरकार के संयुक्त सचिव।